तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता… अहकाम जो… हुक्म की ता… में जारी हु…
	जीतेन्द्र कुमार V/S विश्राम सिंह	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। हाजि० प्रार्थी उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसला के विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर शा० लि० हो। पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 74/2024

1.जीतेन्द्र कुमार पुत्र श्री लक्खीराम जाति गुर्जर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2.लेखराज पुत्र श्री लक्खीराम जाति गुर्जर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
3.सरोज आयु 40 वर्ष पत्नि श्री दीवानसिंह जाति गुर्जर तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1.विजय सिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. नबाब सिंह सिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
3. निहाल सिंह पुत्र सुन्दरलाल जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
4. अमरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
5. जवाहरसिंह पुत्र श्री निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
6. विष्णु पुत्र श्री निहालसिंह जाति गुर्जर निवासी उच्चैन तहसील उच्चैन जिला भरतपुर
7.

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थिति

5. श्री जयप्रकाश शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
6. श्री लखनलाल एडवोकेट अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः—30.05.2025**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि नकल जमाबंदी संवत 2075—2078 अनुसार आराजी खसरा नंबर 115/0.40, 89/0.21, 90/0.02, 93/0.02 है0 खाता संख्या 15 बाके ग्राम नगला टिकेता तहसील उच्चैन जिला भरतपुर पर वादी गण का पूर्ण हिस्सा है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थी गण वहैसियत खातेदार मौके पर आज तक निर्वाध रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। इस समय भी मौके पर प्रार्थी गण का ही कब्जा काश्त है। प्रार्थी गण की उक्त आराजी से अप्राथीगण का आज तक किसी प्रकार का लेना देना नहीं रहा है । अप्रार्थीगण, प्रार्थी गण की आराजी पर लाठी की ताकत के बल पर राजनीतिक पहुंच का

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

फायदा उठाकर जबरदस्ती अवैध तरीके से कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थी गण विवादित आराजी से प्रार्थी गण को बेदखल करने की नीयत से तरह–तरह से परेशान करते हैं वह बेदखल करने को उतारू हैं। दिनांक 29.08.2024 को अप्रार्थीगण मौके पर उक्त आरजी पर आ गए तथा प्रार्थी गण को विवादित आरजी से बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास करने लगे तथा उक्त आरजी के कुछ हिस्से पर पत्थर डालने का प्रयास किया। एवं डौल मेड तोड़ दी। तब प्रार्थी गण के विरोध के कारण उस रोज तो अप्रार्थी गण विवादित आरजी से बेदखल करने में सफल नहीं हो सके लेकिन वे प्रार्थीगण को ऐलानियां धमकी दे गए की हर हालत में तुम्हें इस आराजी से बेदखल करके हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। इसी कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया है

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 23.01.2025 अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 की ओर से श्री लखनलाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण जबाब पेश नहीं करना चाहते थे इस कारण दिनांक 13.05.2025 को अप्रार्थीगण 01 लगायात 06 का जबाब बंद कर दिया गया। एवं दिनांक 30.05.2025 को अभि0 अप्रार्थीगण एवं स्वयं अप्रार्थीगण के अनुपस्थित होने के कारण इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की अप्रार्थीगण ताकतवर लोग हैं। प्रार्थीगण की आराजी ख0 नं0 89,90,93 अप्रार्थीगण की आराजी के बगल में भी नहीं है परंतु कब्जा करने की बदनियती से पत्थर डालने का प्रयास किया। अतः प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में प्रथमदृष्टया विषयवस्तु (प्राईमाफेसी केस) को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075–2078 अनुसार विवादित आराजी में दो सहखातेदार दौजी व सरोज (अप्रार्थी संख्या 03) हैं। प्रार्थी संख्या 01 व 02 के नाम पर ख0 नं0 89, 90, 93 पर दौजी पुत्र हरहेत से जितेन्द्र कुमार पुत्र लक्खीराम एवं लेखराज पुत्र लक्खीराम पर नामांतरण प्रकियाधीन है। चूंकि उक्त ख0 नं0 की जमाबंदी में केवल प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी का कोई संबंध सरोकार नहीं है। प्रथमदृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत होता है ।

प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति को समझना आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार होने के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षा हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबंद करबाना चाहा गया है। दौराने–ए–वाद विवादग्रस्त आराजी की रिकार्ड की स्थिति में यदि परिवर्तन होता है तो वाद के निर्णय के

सहायक कलक्टर
उच्चैन, (भरतपुर)

पश्चात प्रार्थीगण के अधिकारों पर नकारात्मक एवं अपूर्णीय क्षति होना प्रबल सम्भावित है इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है।

प्रकरण में अब सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में झुकाव रखने के बारे में समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जमाबंदी आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी में मौके की स्थिति यथावत रखने हेतु अस्थाई निषेधज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुबिधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थीगण को हुई असुविधा की तुलना में प्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 115/0.40, 89/0.21, 90/0.02, 93/0.02 है0 वाके ग्राम नगला टीकेता तहसील उच्चैन (मुताबिक जमाबंदी 2075–2078) में मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
उच्चैन, भरतपुर
उच्चैन (भरतपुर)